प्रकरण संख्या 32/2024 नगर पालिका नाथद्वारा बनाम गणेश व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 35 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा में वाद पत्र की परिशिष्ट (1) की आराजी नंबर 2505/482 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 1 से 3 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 1 से 3 के पिता/पति नाना पिता मन्ना भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 83 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2505/482 रकबा 3 बीघा भूमि नाना पिता मन्ना भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 1 से 3 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 1 से 3 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।<br><br>इसी प्रकार परिशिष्ट (2) की आराजी नंबर 2507/482 रकबा 0.5059 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 4 से 15 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 4 से 15 के पिता/पति कन्ना पिता मन्ना भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 85 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2507/482 रकबा 2 बीघा भूमि नाना पिता मन्ना भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 4 से 15 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 4 से 15 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।<br><br>इसी प्रकार परिशिष्ट (3) की आराजी नंबर 2504/482 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 16 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन [illegible] पिता तुलछा भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ [illegible] 82 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2504/482 रकबा 3 बीघा भूमि [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

पिता तुलछा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 16 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 16 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार परिशिष्ट (4) की आराजी नंबर 2589/491 रकबा 1.2646 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 17 व 18 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 491 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 17 व 18 के पिता लच्छा पिता मन्ना भील को वर्ष 1978 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 194 वर्ष 1979 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2589/491 रकबा 5 बीघा भूमि धूला पिता तुलछा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 17 व 18 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 17 व 18 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार परिशिष्ट (5) की आराजी नंबर 2503/482 रकबा 1.0177 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 19 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 19 के पिता हीरा पिता भग्गा भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 81 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2503/482 रकबा 4 बीघा भूमि हीरा पिता भग्गा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 19 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 19 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार परिशिष्ट (6) की आराजी नंबर 2515/482 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 20 से 26 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 20 से 26 के पिता/पति भीमा पिता माना भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 93 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2515/482 रकबा 3 बीघा भूमि भीमा पिता माना भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 16:57:33 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 20 से 26 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 20 से 26 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार परिशिष्ट (7) की आराजी नंबर 2506/482 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 27 से 35 के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 482 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन वादी संख्या 27 से 35 के पिता/पति मोती पिता रूपा भील को वर्ष 1976 में आवंटित हुआ था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 84 वर्ष 1977 में स्वीकार होकर खसरा नंबर 2506/482 रकबा 2 बीघा भूमि रूपा पिता दुर्गा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जो उनके मरणोपरान्त विरासत से वादी संख्या 27 से 35 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जिस पर वादी संख्या 27 से 35 एवं उनके पूर्वाधिकारी 47 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की परिशिष्ट संख्या 1 से 7 में वर्णित आराजियात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार उनका अपने पूर्वजों के समय से 47 वर्षो से कब्जा काश्त होने से गैर खातेदार से खातेदारी में दर्ज किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.02.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिस पर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 29.04.2024 को पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2024 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 19 व 21 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णा शंकर पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने जाने से उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 21.05.2024 को प्रार्थी को प्रमाणित नकलें मिलने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि स्वयं अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 21.05.2024 को होना बताया है, फिर भी अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 24.07.2024 को पेश की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 की अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 12.04.2024 तक प्रस्तुत करनी थी। स्वयं अपीलान्ट ने अपने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 21.05.2024 को प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, फिर भी अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्ति के बावजूद भी समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर दिनांक 24.07.2024 प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक प्रकरण में गुणावगुण [illegible] है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों [illegible] पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजियात नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में

स्थित होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपनी अधिकारिता के बाहर निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार विवेचन करने हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के गैरखातेदारी में दर्ज है, किसी व्यक्ति की गैरखातेदारी भूमि में नगरपालिका का कोई हक व अधिकार नहीं माना जा सकता ऐसी स्थिति में नगरपालिका को अपील करने का ही अधिकार नहीं है। गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को ही प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर खारिज कर दिया गया है, जिसकी कोई अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा नहीं की गयी है। तहसीलदार नाथद्वारा चाहे तो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील कर सकता है, किन्तु प्रकरण में हम नगरपालिका नाथद्वारा को किसी प्रकार से हितबद्ध नहीं पाते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट हितबद्ध नहीं होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2024 यथावत रखी जाती है। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

(…पसिंह सांगावत)
एवं … राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर